छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1069/2007

1. श्री उमाशंकर साहू, – *अपीलार्थी*
ग्राम–छेछर, पोस्ट–मलदा,
तहसील–कसडोल, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय तहसीलदार, कसडोल,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 06 फरवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री उमाशंकर साहू द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, कसडोल के समक्ष दिनांक 30.08.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 03.10.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उस अपील के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 06.11.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा यह बताया गया कि उक्त मूल प्रकरण उपलब्ध नहीं हो रहा था और उन्हीं के कार्यालय में श्री नन्दकुमार साहू, लिपिक 12 वर्ष से रीडर, तहसीलदार कार्यालय के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने प्रकरण को गुमा दिया है, इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकी और श्री नन्दकुमार साहू के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव भी कलेक्टर, रायपुर को भेज दिया है । तत्पश्चात् श्री नन्दकुमार साहू, लिपिक को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरूद्ध दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 09.06.2008 को प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को न तो तहसीलदार उपस्थित हुये और न ही श्री नन्दकुमार साहू उपस्थित हुये, इसलिए उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी की सुनवाई की गई । श्री नन्दकुमार साहू ने अपने उत्तर में कहा है कि उनके कार्यरत अवधि में प्रकरण का निराकरण हुआ था तथा प्रकरण लोहे की रेक में सुरक्षित रखा गया था और बाद में कार्यालय का सौन्दर्यीकरण का कार्य होने के प्रकरण यहॉ–वहॉ से इसी दौरान गुम हो गया । उत्तर में यह भी लिखा है कि प्रकरण से संबंधित पक्षकार से संपर्क कर आदेश दिनांक 12.10.2001 की छायाप्रति लगाई है, जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं था और उसे किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया गया है तथा उक्त आदेश की छायाप्रति भी संलग्न की है । प्रकरण में अपीलार्थी ने मौखिक तर्क के समय यह बताया कि उसकी जमीन दूसरे के नाम कर दी गई है और अब रिकार्ड को नष्ट बता रहे हैं, अतः उसके हितों को नुकसान पहुंचा है और उसे वांछित जानकारी दी जाना चाहिए, ताकि अपना पक्ष अच्छी तरह से न्यायालय में रख सके । इस प्रकरण में स्वयं तहसीलदार ने जॉच के उपरांत श्री नन्दकुमार साहू को उत्तरदायी पाया है

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

और उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की कलेक्टर को अनुशंसा भी की है, अतः श्री नन्दकुमार साहू के उत्तर को संतोषप्रद मान्य नहीं किया जाता है और उन्हें रिकार्ड गुमाने या नष्ट करने का दोषी पाया जाता है और उन्हें उक्त सूचना को प्रदाय करने में बाधक मानते हुए धारा–20(1) के अन्तर्गत श्री नन्दकुमार साहू तत्कालीन लिपिक, तहसील, कसड़ोल तथा वर्तमान लिपिक, तहसील, आरंग के विरूद्ध राशि पॉच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत कलेक्टर, रायपुर को यह भी अनुशंसा की जाती है कि वे उक्त लिपिक के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करें । साथ ही प्रकरण में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि या तो प्रकरण को पुनः खोजा जावे और जानकारी मिल जाने पर अपीलार्थी को प्रदान किया जावे या उसका पुनर्निर्माण संभव हो तो पुनर्निर्माण कर विधिवत आगामी कार्यवाही की जावे अन्यथा कलेक्टर स्वयं संबंधित भू–अभिलेख को देखकर, संबंधित अधिकारियों से पूछताछ कर और आवश्यक जॉच कर यदि प्रकरण में कोई अनियमितता पाई जाती हो तो इस प्रकरण को स्वयमेव पुनरीक्षण में लिया जावे और सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका देते हुए विधिवित आदेश प्रसारित किया जावे तथा अंतिम निराकरण से अपीलार्थी को निःशुल्क अवगत कराया जावे । साथ ही प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com